ए०के० श्रीवास्तव
निदेशक (वाणिज्य)

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकम)
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ –01
ई–मेल–directorcomm@uppcl.org
दूरभाष : 0522–2287868,फैक्स सं0: 0522–2287834
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

पत्रांकः 829/मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/सी0यू0–दो/झटपट संयोजन/2019 दिनांकः जुलाई, 4 ,2019

विषय– **नये विद्युत संयोजन हेतु नवनिर्मित "झटपट संयोजन" पोर्टल पर संयोजन के लिए आवश्यक अभिलेखों को आवेदक द्वारा नहीं अपलोड करने पर सम्बन्धित खण्ड द्वारा क्वेरी रेज किए जाने के सम्बन्ध में।**

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/मध्यॉचल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर।

महोदय,

कृपया वर्तमान में नये संयोजनों के निर्गत किये जाने सम्बन्धी झटपट संयोजन पोर्टल के विषय में पूर्ववर्ती पत्राचार का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। नये झटपट संयोजन पोर्टल पर आवेदक द्वारा आवश्यक अभिलेख नहीं अपलोड किए जाने पर संयोजन के निरस्तीकरण की मानक प्रकिया निम्नवत निर्धारित की जाती है:–

1– विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 (षष्टम संशोधन) (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्न मात्र दो अभिलेखों के साथ–साथ भारत सरकार की BRAP की संस्तुतियों के अनुसार पहचान पत्र आवेदक से जमा कराया जायेंगाः–

(क) कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र और परीक्षण रिपोर्ट (बी और एल फार्म)

(ख) परिसर के विधि पूर्ण अधिभोग (Occupation) के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य। अगर ऐसा अभिलेखीय साक्ष्य नहीं उपलब्ध है, तो क्षतिपूर्ति बंध–पत्र।

2– सम्बन्धित वितरण खण्ड आवेदन के साथ अपलोड नहीं किये गये अभिलेखों का विवरण देते हुए सात दिनों के अन्दर आवेदक द्वारा अभिलेखों को जमा किए जाने के सम्बन्ध में एक क्वेरी झटपट पोर्टल पर रेज कर सकता है।

3– क्वेरी में माँगे गये अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपलोड किए जाने की समय सीमा वितरण खण्ड द्वारा क्वेरी रेज करने के दिनांक से अधिकतम 21 दिनों तक होगी। इस अवधि में आवेदक द्वारा वांछित अभिलेख नहीं अपलोड करने की स्थिति में वितरण खण्ड द्वारा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।

उपरोक्त अभिलेखों के अतिरिक्त यदि अन्य किसी अभिलेख के अनुरोध के आधार पर यदि आवेदन निरस्त किया जाता है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार झटपट संयोजन पोर्टल पर प्राप्त आवेदन के निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(ए0के0 श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

cu-second(2019)/88

पत्र संख्याः 829 /मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)सीयू–दो तद्दिनांकः– 04/07/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वाणिज्य), पूर्वान्चल/मध्यॉचल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल/केस्को विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/कानपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (द्वितीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता (आई0टी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उपरोक्तानुसार झटपट पोर्टल में प्रावधान किए जाने के संबन्ध में।

(ए0के0 श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

o/c

cu-second(2019)/89